अरुण बी.सहर्या, मुख्य न्यायमूर्ति एवं वी.के. बाली, न्यायमूर्ति के समक्ष

भारतीय संघ - अपीलकर्ता

बनाम

करनैल सिंह -प्रतिवादी

एल.पी.ए. *1991* का *1265,*

7 दिसम्बर, *2001*

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद *226*-सेना पेंशन विनियम, *1961*-विनियम। *48, 173, 178* और *179*-परिशिष्ट *II,* प्रविष्टि *7*(बी)-विकलांगता पेंशन का अनुदान-भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में नामांकन-एक आंख में दृष्टि की हानि - कार्यकाल पूरा होने पर सैन्य सेवा से छुट्टी-याचिका याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान ग्रेनेड विस्फोट के कारण उसकी आंख में चोट लगी थी, यह रिकॉर्ड से पूरी तरह से गलत है - याचिकाकर्ता को विकलांगता न तो सैन्य सेवा के कारण हुई और न ही सैन्य सेवा के कारण बढ़ी - याचिकाकर्ता को सेवा से अमान्य नहीं माना जा सकता विनियम *179*-अपील के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन देने के एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया गया।

माना गया कि विनियम *48, 173, 178* और विशेष रूप से विनियम *179* को पढ़ने से, यह पता चलेगा कि एक व्यक्ति, जो कार्यकाल पूरा होने पर या सेवा सीमा पूरी होने पर या शर्तों के पूरा होने पर भी सेवानिवृत्त या सेवामुक्त हो जाता है। कार्यकाल के समय या *50* वर्ष की आयु प्राप्त करने पर और सैन्य सेवा के कारण या उसके कारण बढ़ी हुई विकलांगता से पीड़ित पाया जाता है, तो उसे सेवा से अमान्य माना जाएगा और वह सेवानिवृत्ति की तारीख से विकलांगता पेंशन का हकदार होगा, यदि उसने डिग्री स्वीकार कर ली है विकलांगता *20%* या अधिक है /यदि विकलांगता की डिग्री *20%* से कम है तो वह भी सेवा तत्व का हकदार है। क्या कोई व्यक्ति, जो कार्यकाल पूरा होने पर या सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होता है या सेवामुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को विकलांगता पेंशन अर्जित करने का अधिकार देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि विकलांगता सैन्य सेवा के कारण होती है या बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति को वास्तव में विकलांगता पेंशन अर्जित करने का अधिकार सैन्य सेवा के कारण या उसके कारण बढ़ी हुई विकलांगता है, क्योंकि उस स्थिति में, उसे सेवा से अमान्य माना जाता है।

(पैरा 9)

आगे कहा गया, अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा कि याचिकाकर्ता द्वारा हथगोले के विस्फोट के संबंध में गढ़ी गई कहानी, जिसके परिणामस्वरूप आंखों की रोशनी चली गई, मनगढ़ंत कहानी है। यह मामले के रिकॉर्ड से पूरी तरह से गलत है। मामले के रिकॉर्ड बिना किसी संदेह के प्रकट होते हैं कि याचिकाकर्ता को उसकी सगाई का कार्यकाल पूरा होने पर सैन्य सेवा से छुट्टी दे दी गई थी

और उसे लगी चोट या विकलांगता न तो सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार थी और न ही बढ़ने के कारण थी। इस स्थिति में, याचिकाकर्ता को पेंशन विनियम, 1961 के विनियम 179 के मद्देनजर सेवा से अमान्य नहीं माना जा सकता है।

(पैरा 10)

गुरप्रीत सिंह, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।
गुरनाम सिंह, प्रतिवादी के अधिवक्ता।

निर्णय

वी.के. बाली, न्यायमूर्ति.

(1) करनैल सिंह, जो फरवरी, 1972 के महीने में भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए और 1 मार्च, 1987 को सेवामुक्त हुए, ने 6 नवंबर, 1986 के आदेश, अनुलग्नक पी-1, को सफलतापूर्वक चुनौती दी, जिसके तहत उनका विकलांगता पेंशन देने की प्रार्थना खारिज कर दी गई, क्योंकि उनके द्वारा दायर 1997 की सिविल रिट याचिका संख्या 5539 को 11 जुलाई, 1991 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुमति दे दी थी। यह विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश है, जिसे तब से चुनौती दी गई है लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत दायर इस अपील में।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य, अनुबंध पी-1, जैसा कि याचिका में प्रस्तुत किया गया है, से पता चलता है कि करनैल सिंह (इसके बाद 'याचिकाकर्ता' के रूप में संदर्भित) को नामांकित किया गया था। फरवरी, 1972 के महीने में भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में। ऐसा हुआ कि उनके नामांकन के समय, उनकी आँख की दृष्टि (बाएँ और साथ ही दाएँ) 6/6 थी। हालाँकि, वर्ष 1975 में, वह और 17 सिख रेजिमेंट के अन्य जवा रामगढ़ सेक्टर के शांति क्षेत्र में सैन्य प्रशिक्षण ले रहे थे। सैनिकों को दो समूहों में विभाजित किया गया था और एक समूह को प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए ग्रेनेड नंबर 90 से दूसरे पर हमला करना था। याचिकाकर्ता के अनुसार, दूसरे समूह द्वारा फेंका गया ग्रेनेड उसके बाएं हाथ पर लगा और फट गया। विस्फोट के कारण अफरा-तफरी मच गयी आकाशीय बिजली गिरी, जिसके कारण उनकी बायीं आँख की दृष्टि ख़राब होने लगी। उन्होंने सूबेदार श्री दयाल सिंह को बताया कि सैन्य प्रशिक्षण के दौरान प्रयुक्त ग्रेनेड के विस्फोट के कारण उनकी आंख में दर्द हो गया है। उसे तुरंत कैप्टन के पास भेजा गया, जो चिकित्सा कक्ष का प्रभारी था। इसके बाद उनके केस को रामगढ़ मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। जनवरी, 1976 में, जिस इकाई का याचिकाकर्ता सदस्य था, उसे मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया। 20 अगस्त 1976 को उन्हें मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिसंबर, 1978 में उन्हें मेडिकल श्रेणी सीईई (पी) में पदावनत कर दिया गया। दिसंबर, 1978 में, 17 सिख यूनिट को नागालैंड में स्थानांतरित कर दिया गया और 30 नवंबर, 1978 को गौहाटी के सैन्य अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया। अंततः, यूनिट को स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1980 में फ़िरोज़पुर और उनकी मेडिकल श्रेणी को बीईई (पी) में अपग्रेड कर दिया गया। याचिकाकर्ता का यह भी मामला रहा है कि भारतीय सेना में अपनी

सेवा के दौरान उसने एक आंख की दृष्टि खो दी थी और इस प्रकार उक्त विकलांगता का कारण उसके द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा को बताया गया था या बढ़ गई थी और इसके बाद उसकी विकलांगता का आकलन 40 प्रतिशत किया गया था। दिनांक 6 नवम्बर 1986 के पत्र द्वारा श्री आर.सी. शर्मा, कैप्टन, रिकॉर्ड ऑफिसर फॉर ऑफिसर इनचार्ज रिकॉर्ड्स, सिख रेजिमेंट रामगढ़ कैंट ने उन्हें सूचित किया कि उनकी विकलांगता पेंशन सीडीए (पी) इलाहाबाद द्वारा उनके पत्र संख्या जी-III/86/7406/III/135 द्वारा अस्वीकार कर दी गई है। , दिनांक 1 अक्टूबर 1986, क्योंकि उनके द्वारा झेली गई विकलांगता को सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। विकलांगता पेंशन देने के उनके अनुरोध को खारिज करते हुए, लागू आदेश, अनुबंध पी-1 से व्यथित होकर, उन्होंने 31 जनवरी, 1987 को सेना मुख्यालय, नई दिल्ली को एक अभ्यावेदन (अनुबंध पी-2) दिया, जिसमें कहा गया था कि जब वह शामिल हुए थे। वर्ष 1972 में भारतीय सेना में उनकी नेत्र दृष्टि एकदम सही (6/6) थी। सेना में सेवा करते समय, 29 अगस्त 1976 को उनकी एक आंख का ऑपरेशन करना पड़ा। उक्त आंख के ऑपरेशन के कारण उन्हें चिकित्सा श्रेणी बीईई (पी) में पदावनत कर दिया गया। वह सेना में चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह लेते रहे और कुछ समय बाद, दिसंबर 1979 में उन्हें फिर से चिकित्सा श्रेणी सीईई (पी) में पदावनत कर दिया गया। उनके द्वारा उपरोक्त अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया था कि सैन्य अस्पताल अखनूर ने उनकी 40% विकलांगता पेंशन की सिफारिश की थी। और पेंशन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज आगे की कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड सिख रेजिमेंट को भी भेजा गया। अंततः, उन्हें 9 जनवरी, 1987 को सेना से छुट्टी दे दी गई। 11 फरवरी, 1987 के पत्र के माध्यम से, अधिकारी प्रभारी रिकॉर्ड, सिख रेजिमेंट अभिलेख कार्यालय रिकॉर्ड, सिख रेजिमेंट, रामगढ़ कैंट के रिकॉर्ड अधिकारी ने 31 जनवरी 1987 को अपनी अपील भेजी। सीडीए को विकलांगता पेंशन की अस्वीकृति के खिलाफ ((पी) जी-III अनुभाग, इलाहाबाद। हालाँकि, जब उनके उपरोक्त अभ्यावेदन को अपील मानकर संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया तो कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, उन्होंने पहले ही ऊपर बताए गए परिणाम के साथ रिट याचिका दायर की।

(3) प्रतिवादी-भारत संघ (बाद में 'अपीलकर्ता' के रूप में संदर्भित) ने बचाव में प्रवेश किया और याचिकाकर्ता के मामले का जोरदार विरोध किया और उसकी ओर से दायर लिखित बयान में, यह दलील दी गई कि कोई रिकॉर्ड नहीं था कि याचिकाकर्ता हथगोले से घायल था ।यूनिट द्वारा कोई चोट रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई थी। हालाँकि, सेवा विवरण के अनुसार, याचिकाकर्ता को सैन्य अस्पताल मेरठ कैंट में भर्ती कराया गया था। 20 जुलाई 1976 को और 31 जुलाई 1976 को मोतियाबिंद (ऐलटी) आंख के निदान के साथ उन्हें छुट्टी दे दी गई। मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ कैंट में भर्ती के समय व्यक्ति ने शिकायत की थी कि लगभग एक महीने पहले उसे बायीं आंख की रोशनी कम हुई थी लेकिन तब से धीरे-धीरे इसमें बढ़ोतरी हुई है। आगे दलील दी गई कि सेट पर दर्द, लालिमा या कंपकंपी का कोई इतिहास नहीं था। उन्हें छह महीने के लिए मेडिकल श्रेणी सीईई में अस्थायी रूप से डाउनग्रेड किया गया था। 22 जुलाई, 1981 को आयोजित एक मेडिकल बोर्ड द्वारा एपीहाकिया (बाएं) आंख के निदान के लिए उन्हें मेडिकल श्रेणी बीईई (पी) में डाउनग्रेड कर दिया गया था, जिसे न तो सेवा के लिए जिम्मेदार माना गया था और न ही सेवा के कारण बढ़ा हुआ माना गया था। आगे दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ने कभी सूबेदार या कैप्टन को रिपोर्ट नहीं की, जैसा कि उसने याचिका में कहा है। विकलांगता पेंशन के उनके दावे को खारिज कर दिया गया था, लेकिन आगे यह दलील दी गई कि अस्वीकृति याचिकाकर्ता के सभी चिकित्सा

दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए विकलांगता के कारण होने वाले पहलू पर आधारित थी और याचिकाकर्ता को रक्षा नियंत्रक के निर्णय के बारे में लेखा (पेंशन) दिनांक 6 नवंबर 1986 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि यदि वे चाहें तो रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) के निर्णय के खिलाफ अपील करें। उन्होंने 31 जनवरी, 1987 को एक अपील दायर की, जिसे रिकॉर्ड्स सिख रेजिमेंट पत्र दिनांक के माध्यम से रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) को भेज दिया गया था। याचिकाकर्ता को सूचना के तहत 11 फरवरी, 1987 को भेज दिया था। उनकी अपील को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने भी 27 मई, 1987 को खारिज कर दिया था और उसके निर्णय की सूचना याचिकाकर्ता को भी दे दी गई थी। यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन दाखिल किया था। आगे दलील दी गई कि याचिकाकर्ता को 28 फरवरी, 1987 सेना से छुट्टी दे दी गई और मार्च 1,1987से उनका नाम सेना नियम 13(3) आइटम III (i) के तहत 15 वर्ष और 22 दिन की सेवा पूरी करने के बाद उनका नामांकन शर्तों को पूरा करने पर काट दिया गया रिलीज़ मेडिकल बोर्ड द्वारा दो वर्षों के लिए विकलांगता की सीमा 40% को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन विकलांगता पेंशन के अनुदान को अस्वीकार करने की मांग की गई है क्योंकि विकलांगता न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही सैन्य सेवा बढ़ने के कारण थी।

(4) पार्टियों की दलीलों पर, जैसा कि ऊपर दिया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"उत्तरदाताओं की ओर से दायर लिखित बयान में, अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि याचिकाकर्ता किसी ग्रेनेड से घायल हुआ था। यह बताया गया है कि यूनिट द्वारा कोई चोट रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई थी। तथ्य 20 जुलाई, 1976 को उन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया और 31 जुलाई, 1976 को मोतियाबिंद (लेफ्टिनेंट) आंख के निदान के साथ वहां से छुट्टी दे दी गई। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को विकलांगता का सामना करना पड़ा, जिसका मूल्यांकन 40% किया गया था। विवादित नहीं किया गया है। हालांकि, यह बताया गया है कि विकलांगता पेंशन के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि विकलांगता सेना सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं थी। यह आगे बताया गया है कि कोई प्रत्यक्ष या मे परिस्थितिजन्य साक्ष्य याचिकाकर्ता के हक़ में नहीं है"

(5) पेंशन विनियम, 1961 के विनियम 173 और परिशिष्ट II में प्रासंगिक प्रविष्टि 7(बी) को ध्यान में रखते हुए, इसे इस प्रकार देखा गया: -

"उपरोक्त खंड 7 (बी) के अवलोकन से पता चलता है कि यदि किसी व्यक्ति के सेवा में प्रवेश के समय किसी भी विकलांगता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह सेना सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। माना जाता है कि उस समय याचिकाकर्ता का दृष्टिकोण फरवरी 1972 में उनका नामांकन 6/6 था। 1976 में उनकी विकलांगता 40% आंकी गई थी। यह नहीं दिखाया गया है कि विकलांगता तब से गायब हो गई है। चूंकि विकलांगता 40% से अधिक बनी हुई है, याचिकाकर्ता इसका हकदार था विकलांगता पेंशन का अनुदान। उसके दावे को अस्वीकार करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई । मेरे विचार से यह विनियम 173 और पैरा 7(बी) के प्रावधानों के विपरीत था।"

(6) अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री गुरप्रीत सिंह ने जोरदार तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के दावे को पेंशन विनियम, 1961 के विनियमन 173 और परिशिष्ट II की प्रविष्टि 7 (बी) के आधार पर अनुमति दी गई है। यह राय बनाई गई है कि याचिकाकर्ता को जो विकलांगता झेलनी पड़ी वह उसके द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा के कारण थी या उक्त सेवा के कारण बढ़ गई थी। ऐसा करते समय, न तो लिखित बयान में परिलक्षित दलीलों और न ही याचिकाकर्ता के मेडिकल रिकॉर्ड पर विचार किया गया। विद्वान वकील का यह भी तर्क है कि परिशिष्ट III की प्रविष्टि 7 (बी) इस मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती है, क्योंकि याचिकाकर्ता को उसकी बायीं आंख की कमजोर दृष्टि के कारण सेना से छुट्टी नहीं दी गई थी और आगे कहा गया था कि कहा गया कि रिकॉर्ड के अनुसार चोट याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा के कारण नहीं हो सकती या बढ़ सकती है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री गुरनाम सिंह ने निर्णय में उल्लिखित आधारों पर विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का समर्थन करने का प्रयास किया है।

(7) हमने पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से मामले के रिकॉर्ड के साथ-साथ याचिकाकर्ता के विशेष रूप से भेजे गए अन्य मेडिकल रिकॉर्ड को भी देखा है।

(8) विकलांगता पेंशन का अनुदान, निस्संदेह, सेना विनियमों द्वारा शासित होता है। विनियम 48, 173, 178 और 179, जो मौजूदा विवाद का निर्णय करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं, नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

"48.(ए) जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, सेवा तत्व और विकलांगता तत्व से युक्त विकलांगता पेंशन एक ऐसे अधिकारी को दी जा सकती है जो गैर-युद्ध में सैन्य सेवा के कारण या बढ़ने वाली विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हो गया हो हताहत मामलों का आकलन 20 प्रतिशत या उससे अधिक है

(बी) यह प्रश्न कि क्या विकलांगता सैन्य सेवा के कारण होती है या बढ़ जाती है, परिशिष्ट II में नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा।

"173. जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रदान न किया गया हो, विकलांगता पेंशन उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो विकलांगता के कारण सेवा से अयोग्य हो गया है, जो सैन्य सेवा के कारण या बढ़ गई है और 20 प्रतिशत या उससे अधिक पर आंकी गई है। यह प्रश्न कि क्या विकलांगता सैन्य सेवा के कारण होती है या बढ़ जाती है, परिशिष्ट II के नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा।"

"178. एक व्यक्ति जो अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, पेंशन या ग्रेच्युटी के साथ सेवानिवृत्त/सेवा से मुक्त हो गया है, लेकिन जो सेवानिवृत्ति/मुक्ति की तारीख से दस साल की अवधि के भीतर, एक से पीड़ित पाया जाता है जिस बीमारी को उसकी सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाता है, सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर, उसकी पेंशन/ग्रेच्युटी के अलावा, विकलांगता की स्वीकार्य डिग्री और अंतिम रैंक के लिए उचित दर पर विकलांगता तत्व प्रदान किया जा सकता है, ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो मामले की परिस्थितियों में निर्णय लिया जा सकता है।"

"179. कोई व्यक्ति कार्यकाल पूरा होने पर या सेवा सीमा पूरी होने पर या सगाई की शर्तों को पूरा करने

पर या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर (उनकी सगाई की अवधि की परवाह किए बिना) सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिया जाता है, यदि वह किसी विकलांगता से पीड़ित पाया जाता है या सैन्य सेवा से बढ़ गया और सेवा चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया, सेवा से अमान्य माना जाएगा और सेवानिवृत्ति की तारीख से विकलांगता पेंशन दी जाएगी, यदि विकलांगता की स्वीकृत डिग्री 20 प्रतिशत या अधिक है, और सेवा तत्व यदि विकलांगता की डिग्री 20 प्रतिशत से कम है। सेवा पेंशन/सेवा उपदान, यदि पहले ही स्वीकृत और भुगतान किया जा चुका है, को विकलांगता पेंशन/सेवा तत्व के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, जैसा भी मामला भारत संघ बनाम. करनैल सिंह (2) उपरोक्त खंड (1) में निर्दिष्ट विकलांगता तत्व का मूल्यांकन सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय विकलांगता की स्वीकृत डिग्री पर उस तिथि के रैंक के आधार पर किया जाएगा जिस दिन घाव/चोट लगी थी या उस बीमारी के कारण ड्यूटी से पहली बार हटाए जाने की तिथि पर बीमारी का मामला।"

(9) ऊपर दिए गए नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि विकलांगता पेंशन में दो तत्व शामिल हैं, अर्थात् सेवा और विकलांगता। ये दोनों तत्व, यानी, सेवा और विकलांगता, एक अधिकारी को दी जानी चाहिए, जिसे विकलांगता के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया है, जो गैर-युद्ध हताहतों में सैन्य सेवा के कारण या बढ़ जाती है और इसका मूल्यांकन 20% या अधिक हो। विकलांगता सैन्य सेवा के कारण होती है या बढ़ती है या नहीं, इसका निर्धारण परिशिष्ट ॥ के नियमों के तहत किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्तियों के मामले में, यानी, अधिकारियों के अलावा, विकलांगता पेंशन, विनियमन 173 द्वारा शासित होती है। इस विनियमन को विनियमन 48 के समान ही कहा जाता है, केवल अंतर यह है कि जहां विनियमन 48 सेवा और विकलांगता दोनों तत्वों से संबंधित है, वहीं विनियम 173 में इन दो अलग-अलग तत्वों का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। हालाँकि, इससे दोनों तत्वों के लिए व्यक्ति की पात्रता में कोई अंतर नहीं आएगा, जैसा कि विनियम 178 और 179 से स्पष्ट होगा। ऊपर उल्लिखित विनियमों को पढ़ने से , और विशेष रूप से विनियम 179 में, यह बनाया जाएगा कि एक व्यक्ति, जो कार्यकाल पूरा होने पर या सेवा सीमा पूरी होने पर या सगाई की शर्तों को पूरा करने पर या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी सेवानिवृत्त या सेवामुक्त हो जाता है और पाया जाता है सैन्य सेवा के कारण या उसके कारण बढ़ी हुई विकलांगता से पीड़ित, सेवा से अमान्य माना जाएगा और सेवानिवृत्ति की तारीख से विकलांगता पेंशन का हकदार होगा, यदि विकलांगता की स्वीकृत डिग्री 20% या अधिक है। यदि विकलांगता की डिग्री 20% से कम है तो वह भी सेवा तत्व का हकदार है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि क्या कोई व्यक्ति, जो कार्यकाल पूरा होने पर या सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होता है या सेवामुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को विकलांगता पेंशन अर्जित करने का अधिकार देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि विकलांगता सैन्य सेवा के कारण होती है या बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति को वास्तव में विकलांगता पेंशन अर्जित करने का अधिकार सैन्य सेवा के कारण या उसके कारण बढ़ी हुई विकलांगता है, क्योंकि उस स्थिति में, उसे सेवा से अमान्य माना जाता है।

(10) इस प्रकार, वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता को जिस विकलांगता का सामना करना पड़ा, वह सैन्य सेवा के कारण थी या बढ़ गई थी। यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में यह निष्कर्ष दिया जाना है कि उसे लगी चोट या विकलांगता सैन्य सेवा के कारण हुई है या बढ़ी है, तो अपीलकर्ता द्वारा बचाव में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 15 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा से बाहर कर दिया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उपरोक्त घटना में याचिकाकर्ता को सेवा से अमान्य माना जाएगा। चोट के कारण का पता लगाने के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमने मूल रिकॉर्ड मंगवाए। वही हमें उपलब्ध करा दिया गया है. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा कि याचिकाकर्ता द्वारा हथगोले के विस्फोट के संबंध में गढ़ी गई कहानी, जिसके परिणामस्वरूप आंखों की रोशनी चली गई, मनगढ़ंत कहानी है। यह मामले के रिकॉर्ड से पूरी तरह से गलत है। रिकॉर्ड में वह कार्यवाही उपलब्ध है जब याचिकाकर्ता को मेडिकल बोर्ड के सामने लाया गया था। भाग-। का प्रोफार्मा याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं भरा गया है। इस प्रश्न पर विवरण देने वाले कॉलम में कि सेवा के दौरान किसी व्यक्ति को चोट कैसे लगी या उसकी विकलांगता बदतर हो गई, याचिकाकर्ता ने जो कुछ भी उल्लेख किया है वह 'नहीं' है। अगले कॉलम में यह बताया गया है कि घाव या चोट कैसे लगी और क्या कोई मेडिकल जांच की गई और चोट की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, याचिकाकर्ता ने एनए (लागू नहीं) का उल्लेख किया है। निश्चित रूप से, यदि यह याचिकाकर्ता का मामला था कि प्रशिक्षण सत्र में ग्रेनेड के विस्फोट

के कारण उसकी बायीं आंख में चोट लगी थी, तो इसका संदर्भ निश्चित रूप से प्रोफार्मा में ऊपर उल्लिखित कॉलम में दिया गया होगा। उनके द्वारा उस समय भरा गया जब उन्हें रिलीज मेडिकल बोर्ड के समक्ष लाया गया था। प्रोफार्मा के भाग-III में रिलीज मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता की बीमारी संवैधानिक है और सेवा से संबंधित नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता को मेडिकल श्रेणी बीईई (पी) में सेवा से मुक्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का इतिहास, जब उसे ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को जुलाई 1976 से कम चिकित्सा श्रेणी सीईई में मोतियाबिंद बाईं आंख के पुराने मामले के रूप में 165 एमएच से एक मरीज के रूप में प्राप्त किया गया था। उपरोक्त इतिहास में उल्लेख करें कि चोट या विकलांगता का कारण विस्फोट था हथगोले या किसी ऐसी घटना के कारण ऐसा हुआ हो सकता है। में मेडिकल रिकॉर्ड की उपलब्धता को देखते हुए इसका उल्लेख किया गया है ऊपर दिए गए सवाल के जवाब में मोतियाबिंद के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है आम तौर पर यह उस तनाव और तनाव का परिणाम नहीं होगा जिससे किसी को सशस्त्र बलों की सेवा में गुजरना पड़ता है। मामले के जो रिकॉर्ड हमें उपलब्ध कराए गए हैं, वे बिना किसी संदेह के स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता को उसकी सगाई का कार्यकाल पूरा होने पर सैन्य सेवा से छुट्टी दे दी गई थी और उसे लगी चोट या विकलांगता न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही सैन्य सेवा के कारण बढ़ी थी। इस स्थिति में, उपरोक्त पुनरुत्पादित विनियम 179 के मद्देनजर याचिकाकर्ता को सेवा से अमान्य नहीं माना जा सकता है।

(11) याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री गुरनाम सिंह, हालांकि, जोगिंदर सिंह (लांस दफादार) बनाम भारत संघ और अन्य[1]1) (1) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूदा मामले के तथ्यों पर कोई समानता नहीं है। जोगिंदर सिंह नियमित सेना में कार्यरत थे। उन्होंने एक लड़ाकू सैनिक के रूप में 17 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की थी और 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान परिचालन क्षेत्र में सेवा की थी। 14 फरवरी, 1976 को वह अपने ड्यूटी स्टेशन बबीना से अपने घर जिला फरीदकोट के लिए आकस्मिक अवकाश पर थे। बबीना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ते समय वह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार हो गये, जिसके परिणामस्वरूप वह ट्रेन से नीचे गिर गये और उन्हें गंभीर चोटें आईं। ऊपर उल्लिखित तथ्यों पर, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि याचिकाकर्ता को तब भी ड्यूटी पर माना जाना चाहिए जब वह आकस्मिक अवकाश पर था।

(12) परिशिष्ट II की प्रविष्टि 7(बी) के आधार पर श्री गुरनाम सिंह के तर्क में भी कोई दम नहीं है क्योंकि उक्त प्रविष्टि केवल तभी लागू होगी जब व्यक्ति की छुट्टी बीमारी या विकलांगता के कारण हुई हो।

(13) ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को संभवतः बरकरार नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं था। अत: यह अपील स्वीकार की जाती है। नतीजतन, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है, हालांकि, पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होगी।

---

[1] 1996 (2) एसएलआर 149

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

तुषार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी ,कैथल, हरियाणा